

फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मावली जिला उदयपुर

प्रार्थी :- श्री सुरेश

किस्म मुकदमा :- 212 R.T.A.

विपक्षी :- श्रीमती कंचन

पत्रावली संख्या :- 41/24 (वाद)

GCMS NO : 2024/140

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पाटी तथा सूचनाएं जारी की गईं
	<p>दिनांक : 22.11.2024 – पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित। चूंकि मूल वाद का आज निस्तारण किया जाकर वादी के वाद को लौटा दिया गया है। ऐसे में इस अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र को आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का खारिज किया जाता है तथा पूर्व में दिनांक 05.07.2024 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा हटाई जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय खुले ईजलास में सुनाया गया।</p> <p>(रमेश सीरवी पुनाडिया) R.A.S. उपखण्ड अधिकारी मावली जिला उदयपुर</p>	

